बिहार सरकार
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय
(समाज कल्याण विभाग)

राज्य सरकार (समाज कल्याण विभाग), अनुबंध के आधार पर राज्य आयुक्त (निःशक्तता) की नियुक्ति हेतु इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित करती है ।

1. **पद का नाम** :– राज्य आयुक्त (निःशक्तता)
2. **मुख्यालय का नाम** :– समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना ।
3. **अहर्त्ता** :–

(1) (क) राज्य आयुक्त (निःशक्तता) के रूप में नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति पात्र तभी होगा जब वह दिव्यांगजनों के पुनर्वास / सशक्तिकरण के क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया हो (ख) वह भर्त्ती के वर्ष की 1 जनवरी को 60 वर्ष से कम की उम्र का हो (ग) वह केन्द्र या राज्य सरकार की सेवा में है तो वह पद पर नियुक्ति से पूर्व ऐसी सेवा से सेवानिवृत्ति लेगा ।

(2) शैक्षणिक योग्यता :– राज्य आयुक्त (निःशक्तता) की नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता निम्नवत होगी:–

(i) अनिवार्य योग्यता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ।

(ii) वांछित योग्यता : सामाजिक कार्य या विधि प्रबंध या मानव अधिकार या पुनर्वास या दिव्यांगजनों की शिक्षा में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा ।

(3) कार्यानुभव :– राज्य आयुक्त (निःशक्तता) की नियुक्ति हेतु अनुभव निम्नवत होगी:–
समूह 'क' अथवा समकक्ष स्तर पर कम से कम 20 वर्ष का कार्यानुभव, जिनमें निकट पूर्व में न्यूनतम तीन वर्ष का दिव्यांगजनों के पुनर्वास / सशक्तिकरण के क्षेत्र में निम्न सेक्टर में कार्य करने का अनुभव हो :–

(i) केन्द्र या राज्य सरकार ।

(ii) पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अर्द्ध–सरकारी या स्वायत्त निकाय ।

(iii) निबंधित राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन ।

नोट :– उपर वर्णित कुल बीस वर्षो के अनुभवों में से निःशक्त व्याक्तियों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में वर्तमान में कम से कम तीन वर्षो का अनुभव होना आवश्यरक है ।

4. **वेतन एवं भत्ते** :–

(i) राज्य आयुक्त (निःशक्तता), बिहार राज्य सरकार के सचिव को उपलब्ध वेतन, भत्ता एवं अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा ।

(ii) जहाँ राज्य आयुक्त (निःशक्तता) कोई सेवानिवृत्त सरकारी सेवक या सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी संस्था या स्वायत्त निकाय का सेवानिवृत कर्मचारी है और जो ऐसी पूर्व सेवा की बाबत पेंशन प्राप्त कर रहा है, वहाँ उसे इन नियमों के अधीन अनुज्ञेय वेतन में से पेंशन की रकम को घटा दिया जाएगा, और यदि उसने पेंशन की किसी भाग के बदले उसका सारांशित मूल्य प्राप्त किया है, वहाँ पेंशन के ऐसे सारांशित भाग की रकम को भी वेतन में से घटा दिया जाएगा ।

5. **आयु सीमा** :– दिनांक 01.01.2021 को आयु 60 वर्ष से कम का हो ।

6. **राज्य आयुक्त (निःशक्तता) का कार्यकाल** :–

(i) उस तारीख से जिस दिन से वह पद धारण करता है, से तीन वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो पूर्वोत्तर हो, होगी ।

(ii) कोई व्यक्ति राज्य आयुक्त (निःशक्तता) के रूप में अधिकतम दो कार्यकाल या जब तक कि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है, इनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो, के लिए सेवा कर सकेगा ।

7. **आवेदन** :–

(i) आवेदन विहित प्रपत्र में केवल ऑनलाईन स्वीकार किये जायेगें । आवेदन प्रपत्र वेबसाईट http://swdbihar.in/disability/ पर उपलब्ध है । वेबसाईट पर उपलब्ध विहित प्रपत्र में **आवेदन दिनांक–18.06.2021 से 05.07.2021 अपराह्न 05:00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे ।** अपूर्ण, अस्पष्ट तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किये जायेंगे ।

(ii) आवेदन के लिए किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा ।

(iii) आवेदन स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पास सुरक्षित रहेगा । इसके लिए किसी प्रकार का पत्राचार मान्य नही होगा ।

8. पद से संबंधित विस्तृत जानकारी http://swdbihar.in/disability/ पर देखी जा सकती है।